न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

बनवारी बनाम सुरजाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	इजरा मु. नं. - 102/2022
8-?-23	पत्रावली पेश हुई। वकलाय कारण हड़./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20-06-23 को पेश हो
20-6-23	पत्रावली पेश हुई। वकलाय कारण हड़./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 30-6-23 को पेश हो
30.06.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से असालतन होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादीगण प्रकरण में साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। अतः साक्ष्य वादीगण बन्द की जाती है। प्रकरण में वकील वादीगण ने बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय / आदेश पत्रावली दिनांक 03.07.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
03.07.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय / आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:39 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 03/07/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
102 / 2022	2022 / 267	04.08.2022	03.07.2023

उनवान प्रकरण

1. बनवारी पुत्र स्व0 चूनाराम आयु 65 वर्ष
2. हरलाल पुत्र स्व0 चूनाराम आयु 62 वर्ष
3. रामजीलाल पुत्र स्व0 चुनाराम आयु 60 वर्ष
4. बाबूलाल पुत्र स्व0 चूनाराम आयु 45 वर्ष

समस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी फकीरदास वाली मु0 पो0 अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—— वादीगण——

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र बक्साराम आयु 80 वर्ष
2. भगवानराम पुत्र बक्साराम आयु 78 वर्ष

समस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी फकीरदास वाली मु0 पो0 अरनियां तहसील

श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

3. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

——प्रतिवादीगण–

उपस्थित :–

श्री रामावतार सैनी–प्रथम, एड0 वादीगण अभि[illegible] संख्या 3 की ओर से।
सरकारी पेरोकार भूमिधारी तह[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:39 IST
Reason: SelfAttested

03/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट,

दावा बाबत उद्घोषणा अंतर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 378, 390, 392, 393, 466 कुल किता 5 रकबा 26 बीघा 3 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 1025 रकबा 0.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 1090 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 1091 रकबा 3.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 1253 रकबा 2.10 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 6.69 हैक्टर तन् ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित हैं। जिसके वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता सभी तीनो भाई बराबर—बराबर 1/3 हिस्से के अनुसार प्रथम सैटलमेन्ट के समय काबिज काश्त चले आ रहे हैं। पक्षकारान् एक ही परिवार के सदस्य है, जो प्रस्तुत सजरा खानदान अनुसार है। वादीगण के पिता चूनाराम व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 2 सगे भाई थें। जो उक्त वर्णित भूमि के बराबर—बराबर 1/3 हिस्से के खातेदार होकर उक्त भूमि पर शामलाती रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है परन्तु हाल सैटलमेन्ट के समय सैटलमेन्ट वालो ने पक्षकारान की भूमि खसरा नम्बर 1025, 1090 व 1091 अकेले प्रतिवादीगण भगवाना व सुरजा के नाम तथा भूमि खसरा नम्बर 1253 अकेले वादीगण नम्बर 1 ता 4 के नाम अंकित कर दी जबकि सैटलमेन्टवालों को उक्तानुसार भूमि की खातेदारी दर्ज करने का कोई अधिकार नही था। अतः सैटलमेन्ट वालों की कार्यवाही पूर्णतया गलत व अवैध होने से भूमि खसरा नम्बर 1025,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:39 IST
Reason: SelfAttested

02/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

1090, 1091 के अपने 1/3 हिस्से से वंचित हो गये तथा प्रतिवादीगण का खसरा नम्बर 1253 के अनाम नही रहा जबकि सभी पक्षकार सम्पूर्ण भूमि के बराबर–बराबर 1/3 हिस्से अनुसार काबिज काश्त व आबाद चले आ रहे हैं। वादीगण की रिहायश भी खसरा नम्बर 1090 गैरमुमकिन आबादी में ही बनी हुई हैं। अतः वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 1025, 1090, 1091 व 1253 के वादीगण को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 को 1/3, 1/3 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी हैं तथा न्यायहित में सम्पूर्ण उक्त वर्णित भूमि का सभी पक्षकारान को बराबर–बराबर 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक हैं। पक्षकारान मुकदमा के आपस में काफी मधुर संबंध हैं तथा पक्षकारान आपस में मिल जुलकर सोहादपूर्ण वातावरण में अपना–अपना सुखी व खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पक्षकारान को ना तो उक्तानुसार खातेदारी दर्ज हो जाने की जानकारी रही एव ना ही किसी भी पक्ष द्वारा इस बाबत् कोई एतराज या आपति की गई परन्तु हाल ही बदले हुये सामाजिक परिवेश व गिरते हुये मानव मूल्यों के कारण पक्षकारान के परिवार के भविष्य में कोई विवाद ना होकर बर्बादी ना हो जाये इसी मंशा से प्रार्थीगण ने हाल ही जानकारी होते ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रतिवादी नम्बर 3 को इस हेतु कहा तो उन्होने विवादित भूमि की पक्षकारान की बराबर–बराबर हिस्सेदारी दर्ज करना स्वयं के क्षेत्राधिकार में नही होना बताकर सक्षम न्यायालय के वादपत्र पेश करने हेतु कहने से वाद कारण पैदा होकर दावा करना लाजिम आया हैं। वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जाने का निवेदन किया है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:39 IST
Reason: SelfAttested

01/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

भूमि खसरा नम्बर 1026 रकबा 0.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 1090 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 1091 रकबा 3.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 1253 रकबा 2.10 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 6.69 हैक्टर तन् ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 का वादीगण नम्बर 1 ता 4 को 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 को 1/3 – 1/3 हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है। यह वाद वास्ते उद्घोषणा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार गौड़ एड0 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से असालतन होकर लौटी है। बावजूद तामील के हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सख्या 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर तस्दीक करवा लिये जाने से वकील वादीगण ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकॉर्ड अतिम चौसाला आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:39 IST
Reason: SelfAttested

02/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जमाबंदी सम्वत् 2034 से 2037, 2042, 2042 से 2046, 2074–2077 की जमाबन्दी, भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकारान् वादीगण के मृतक पिता चूनाराम व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिनमें पुराने भूमि खसरा नम्बर 378, 390, 392, 393, 466 कुल किता 5 कुल रकबा 26 बीघा 3 बिस्वा अवस्थित तन् ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 की खातेदारी वादीगण के पिता स्व0 चूनाराम व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदारी होना प्रकट होता हैं तथा नवीन भूमि खसरा नम्बर 1253 रकबा 2.10 हैक्टर की खातेदारी जमाबन्दी सम्वत् 2042 में अकेले चूनाराम पुत्र बक्साराम जाति अहीर के नाम तथा नवीन भूमि खसरा नम्बर 1025, 1090 व 1091 की खातेदारी अकेले प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज जमाबन्दी सम्वत् 2042 में दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसमें उक्त पक्षकारान् वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 आपस में सगे भाई होकर मृत्तक खातेदार बक्साराम के विधिक वारिस होना प्रकट होता है। जिनमें तीनों भाईयों का विधिक वारिसान होने के कारण 1/3 – 1/3 – 1/3 हिस्सा होना प्रकट होता है। जिसके आधार पर उक्त वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु वादपत्र को पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा के आधार पर वादीगण का प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:39 IST
Reason: SelfAttested

03/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत उद्घोषणा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1025 रकबा 0.89 हैक्टर, 1090 रकबा 0.13 हैक्टर, 1091 रकबा 3.57 हैक्टर, 1253 रकबा 2.10 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 6.69 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 का वादीगण नम्बर 1 लगायत 4 ~~कस्त~~ 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/3 – 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तद्नुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जानें की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

03/07/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 03.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:39 IST
Reason: SelfAttested

03/07/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)